227
8/7/13

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 1108(A)/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 05 जुलाई, 2013

अधिसूचना संख्या–1108/XXIV–2/2013–32(01)/2013 दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित करा कर इसकी 500 प्रतियाँ शिक्षा अनुभाग–2 को यथा शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. निजि सचिव, मा0 विद्यालयी शिक्षा मंत्री जी।
3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6. प्रमुख सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7. महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल, पौड़ी एवं नैनीताल, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।
10. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
13. निदेशक माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
14. निदेशक आकादमिक, शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड।
15. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
17. अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
18. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

संलग्नक–यथोक्त।

आज्ञा से,

(आर0आर0 सिंह)
अनु सचिव

letter/July - 2013

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा, अनुभाग–2
संख्या : 1108/XXIV–2/2013–32(01)/2013
देहरादून, दिनाँक : 05 जुलाई, 2013

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 के अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2013

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड शिक्षक (विद्यालयी शिक्षा) प्रथम नियुक्ति, पदोन्नति एवं स्थानान्तरण पर पदस्थापन नियमावली, 2013 है।

(2) यह दिनांक 21 मई, 2013 में प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

2. नियम 10 (1) (इ) (क) (ख) (ग) का अन्तःस्थापन–

मूल नियमावली में नियम 10 (1) (इ) (क) (ख) (ग) निम्नानुसार अन्तःस्थापित कर दी जायेगी, अर्थात्

नियम 10 (1) अनिवार्य स्थानान्तरण

(इ) X क्षेत्र से Y क्षेत्र में तथा Y क्षेत्र से X क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण पर विकल्प प्राप्त किया जाना:–

(क) अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत पदस्थापना हेतु X क्षेत्र से Y क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण वाले शिक्षक से Y क्षेत्र के पांच विद्यालय के नाम तथा Y क्षेत्र से X क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण वाले शिक्षक से X क्षेत्र के पांच विद्यालय के नाम का विकल्प मांगे जायेंगे।

परन्तु यह कि प्राथमिक/उच्च प्राथमिक में कार्यरत शिक्षक जनपद के अन्तर्गत पांच विद्यालयों तथा स0अ0, एल0टी0/प्रवक्ता मण्डल के अन्तर्गत पांच विद्यालयों के नाम का ही विकल्प देंगे।

परन्तु यह और कि शिक्षक द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार विद्यालयों में पद रिक्त न होने की दशा में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा समस्त शिक्षकों के विकल्प पर विचार करने के उपरान्त शिक्षक द्वारा दिये गये विकल्प में से किसी एक विद्यालय के निकटवर्ती उसी श्रेणी के विद्यालय अथवा उसी क्षेत्र के अन्य श्रेणी के निकटवर्ती विद्यालय में पद रिक्त होने की दशा में अनिवार्य स्थानान्तरण में शिक्षक को पदस्थापित किया जायेगा। उक्तानुसार किए गये पदस्थापना में आवंटित विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील मान्य नहीं होगी।

(ख) विकल्प न देने की स्थिति में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा शिक्षक को आवंटित विद्यालय ही मान्य होगा व इसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील की सुनवाई नहीं की जायेगी।

(ग) X क्षेत्र से Y क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण में महिला शिक्षिका को यथा सम्भव Y क्षेत्र में D श्रेणी के विद्यालय में पदस्थापित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(मनीषा पंवार)
सचिव